UPSR040117952023

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02316

वारण्ट सम्मन्स क्रिमिनल केस/7865/2023

राज्य बनाम छत्रपाल

दिनांक 11.3.2026

अभियुक्तगण **छत्रपाल, श्यामलाल, पुत्तुलाल पुत्रगण देवीदयाल व सांवली पुत्र केशवराम निवासीगण चौकीदारपुरवा दा० मनोहरापुर थाना इकौना जिला श्रावस्ती** की ओर से न्यायालय उपस्थित होकर जुर्म संस्वीकृति का प्रा० पत्र प्रस्तुत किया तथा कहा गया कि अभियुक्तगण पर धारा–323, 504, 506 IPC के अपराध का आरोप है। अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं। अभियुक्तगण एक ही परिवार के है। उनके मुकदमें में आने के कारण उनका कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उनका मुकदमा समाप्त किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण का अन्य कोइ आपराधिक इतिहास सूचित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण मजदूरी पेशा व्यक्ति है थोड़ी खेती भी करते है। मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है। विगत वर्षों से मुकदमें की न्यायिक प्रक्रिया में उलझे रहने से उनका कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वह स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर लंच बाद सुना जायेगा।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।

दि० 11.3.2026

अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण का कथन है कि वे मजदूरी पेशा व्यक्ति है। मुकदमा लड़ पाने में सक्षम नहीं है। अभियुक्तगण एक ही परिवार के है। वे स्वेछया जुर्म स्वीकार कर रहे हैं। अभियुक्तगण का अन्य आपराधिक इतिहास सूचित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के मुकदमें में उलझे रहने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।

अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में अपराध कारित न किये जाने का कथन किया है। उन्हें तुरंत दण्डित करने के बजाये प्रथम अपराध मानते हुये परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाये।

मामले के तथ्य, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्तगण द्वारा की गयी संस्वीकृति एवं प्रथम अपराध को ध्यान में रखते हुये उन्हें दोषसिद्ध करते हुये तुरंत दण्डित करने के स्थान पर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्धगण **छत्रपाल, श्यामलाल, पुत्तुलाल व सांवली** को धारा–**323, 504, 506 IPC** के अपराध में परीवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा–**4** का लाभ दिया जाता है तथा अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष छः माह के लिय 10000 रू की एक प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय से प्रस्तुत करें कि वह उक्त अवधि में जब न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा वह उपस्थित होगें समाज में परिशांति कायम रखेगें और सदाचारी बना रहेगें यदि इसमें कोई त्रुटि कारित की गयी तो उन्हें न्यायालय में तलब करके मात्र दण्ड के प्रश्न पर सुनकर अपराध अंतर्गत धारा–323, 504, 506 IPC में उचित दण्डादेश पारित किया जायेगा। निर्णय की एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रावस्ती को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये तथा एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

11.03.2026

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
श्रावस्ती